न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, चित्तौड़गढ

पीठासीन अधिकारी- श्री प्रदीप सिंह सांगावत (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :- टी0ए0 54 सन 2021
पंजीयन दिनांक :- 02.12.2021

रामचन्द्र पिता उंकारलाल सुनार निवासी मण्डफिया तहसील भदेसर जिला चितौडगढ
-अपीलांट

विरुद्ध

1. चांदमल पिता जवानमल महाजन निवासी मण्डफिया तहसील भदेसर जिला चितौडगढ
2. तहसीलदार भदेसर जिला चितौडगढ

-रेस्पोडेन्टगण

अपील विरुद्ध निर्णय उपखण्ड अधिकारी भदेसर
प्रकरण संख्या 70/2021 आदेश दिनांक 24.11.2021

उपस्थित- 1. एस0के0 ओझा- अधिवक्ता अपीलान्ट
2. चन्दनमल जणवा- अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 1
3. पूरणमल स्वर्णकार- राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 2

निर्णय

दिनांकः-20.12.2023

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि अपीलांट/प्रार्थी ने **एक** प्रार्थना-पत्र विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी भदेसर के न्यायालय **में** राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा-212 के अन्तर्गत पेश **किया** गया जो उपखण्ड अधिकारी भदेसर द्वारा दिनांक 24.11.2021 अपीलांट प्रार्थी **का** प्रार्थना पत्र आधारहीन होना मानते हुये निरस्त किये जाने का निर्णय व आदेश पारित किया गया जिसके विरुद्ध अपील अपीलांट प्रार्थी ने इस न्यायालय **में** प्रस्तुत की ।

राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)

इस न्यायालय में प्रार्थी अपीलांट की ओर से अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्टगण को जरिये नोटीस जारी किये गये नोटीस की पालना में रेस्पोडेन्टगण विपक्षीगण जरिये अधिवक्ता उपस्थित हुये अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर हम किता की गयी व पत्रावली वास्ते बहस अंतिम नियत की गयी ।

अधिवक्ता अपीलांट ने अपनी बहस में अपील मिमो में वर्णित तथ्यों को पुनः दोहराते हुये निवेदन किया कि अधीनस्थ विचारण न्यायालय ने अपने निर्णय में प्रार्थना पत्र में अंकित आवश्यक बिन्दुओ का विश्लेषन किये बिना निर्णय पारित किया है साथ ही प्रार्थना पत्र को मूल वाद की तरह निर्णय पारित किया गया है प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को सही ढंग से विश्लेषण किये बगैर अपीलार्थी प्राथी का प्रार्थनापत्र निरस्त किये जाने का निर्णय व आदेश पारित कर दिया है जिससे अपीलार्थी की ओर से प्रस्तुत अपील स्वीकार किये जाने योग्य है ।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने अपनी बहस में निवेदन किया कि रेस्पोडेन्ट विपक्षी विवादित आराजियात का खातेदार व कबजेदार है अपीलार्थी ने उक्त आराजियात के सबंध में घोषणा का वाद पत्र प्रस्तुत किया है जो स्वीकार योग्य है या नही यह मूल वाद में साक्ष्य सबूत का विषय है प्रथम दृष्टया अपीलांट रेकोर्डेड खातेदार के विरूद्व किसी प्रकार की अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय ने निर्णय दिनांक 24.11.2021 को निर्णय व आदेश पारित कर रेस्पोडेन्ट का प्रार्थनापत्र स्वीकार करते हुये अंतिम अस्थायी-निषेधाज्ञा दिनांक 20.7.2021 को निरस्त किये जाने का आदेश पारित किया है जो विधिसम्मत व न्यायोचित होकर अपीलार्थी प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत अपील सारहीन होने से निरस्त योग्य है ।

राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट02 ने अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व आदेश दिनांक 24.11.2021 को विधि सम्मत होना मानते हुये अपीलांर्थी की आरे से प्रस्तुत अपील निरस्त किये जाने का निवेदन किया ।

हमने उभयपक्षकारान के अधिवक्ताओ की बहस पर विधि पूर्ण मनन किया न्यायालय हाजा व अधीनस्थ विचारण न्यायालय की पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया गया अधीस्थ विद्वान विचारण न्यायालय ने रेस्पोडेन्ट को रेकार्डेड खातेदार होना मानते हुये अपीलार्थी प्राथी का प्रार्थना'पत्र बाबत अस्थायी निषेधाज्ञा निरस्त किये जाने निर्णय व आदेश पारित किया गया है माननीय उच्च न्यायालय

द्वारा पारित निर्णय व आदेश से भी रेकार्डेड खातेदार के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किया जाना न्यायोचित नहीं माना गया है जिससे भी अधीनस्थ विचारण न्यायालय का निर्णय व आदेश दिनांक 24.11.2021 न्यायोचित प्रतित होता है जिससे अपीलांट की ओर से प्रस्तुत अपील सारहीन होने से स्वीकार योग्य नहीं है।

अतः अपील अपीलांट अस्वीकार की जाती है विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी भदेसर का प्रकरण संख्या 70/2021 निर्णय एवं आदेश दिनांक 24.11.2021 यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 20.12.2023 को खूले न्यायालय में सुनाया गया।

(प्रदीप सिंह सांगावत)
राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ